

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या - 4/2021/1792/78-2-2020/254एलसी/2019

लखनऊ, दिनांक 28 जनवरी, 2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद- 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदया "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" प्राख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2- "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति / संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो वैध होगी।

3- "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।


आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकित संख्या-4/2021/1792(1)/78-2-2021तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री / उपमुख्यमंत्री उ0प्र0।
7. निजी सचिव, मा0 विभागीय राज्यमंत्री उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक- (नीति की प्रति)

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2021

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

1	विषय वस्तु	
1.	आमुख	3
2.	परिकल्पना, उद्देश्य एवं लक्ष्य	3
3.	सामान्य नियम एवं शर्तें	4
4.	नीति को प्रोत्साहन	4
5.	गवर्नेन्स	5
5.1	नोडल एजेन्सी	5
5.2	नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)	5
5.3	सशक्त समिति	5
5.4	विशेष कार्यबल	5
6.	परिभाषाएँ	6
6.1	डाटा सेन्टर पार्क	6
6.2	डाटा सेन्टर इकाई	6
6.3	डाटा सेन्टर विकासकर्ता	6
7.	वित्तीय प्रोत्साहन	7
7.1	डाटा सेन्टर पार्क्स	7
7.2	डाटा सेन्टर इकाई	8
7.3	एम.एस.एम.ई./स्टार्टअप्स	9
8.	गैर वित्तीय प्रोत्साहन	9
8.1	मिशन क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर	9
8.2	जलापूर्ति	9
8.3	भवन निर्माण मानदण्डों में विशेष प्राविधान	9
8.4	विद्युत आपूर्ति	10
8.5	अन्य सहायता	11
9	संक्षिप्तीकरण	11

मा.स.स.

भारत में डाटा का उपयोग एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। डाटा संघरण और उपयोग में तीव्र वृद्धि के कारण डाटा संग्रहण की माँग बढ़ रही है और देश में डाटा सेन्टर बाजार का विस्तार हो रहा है। वैश्विक डाटा में भारत की उपयोगिता हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि डाटा संग्रहण क्षमता में मात्र 2 प्रतिशत की भागीदारी है।

वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत की 375 मेगा बॉट डाटा सेन्टर की क्षमता में तेजी से वृद्धि हो रही है और 2025 के अन्त तक 750 मेगा बॉट से अधिक क्षमता जुड़ने की प्रत्याशा है। इस क्षमता परिवर्द्धन से इस सेक्टर के भावी विकास को बढ़ावा देने के लिए 4.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य ग्रीनफील्ड निवेश की आवश्यकता होगी। भारत सरकार द्वारा डाटा स्थानीयकरण के जनादेश से डाटा सेन्टर व्यवसायों में निवेश को और अधिक बढ़ावा मिलने की सम्भावना है।

सूचना प्रौद्योगिकी / सूप्रो समर्थित सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य का सदैव एक प्रमुख स्थान रहा है जहाँ देश का एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी क्लस्टर - नोएडा स्थित है। नोएडा एक सुनियोजित, एकीकृत, आधुनिक औद्योगिक नगर के रूप में उभरा है जिसने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्रों में दुनिया भर के प्रमुख निवेशकों से निवेश आकृष्ट किया है।

राज्य सरकार का ध्यान भी सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है, जिससे शासकीय कार्यप्रणाली की पारदर्शिता में सुधार हुआ है और नागरिकों को सेवाये प्रदान करने में तीव्रता आई है। विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवायें तथा ऑनलाइन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म इन डाटा केन्द्रों के लिए राज्य सरकार को क्लाउड स्टोरेज के एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में बदल रहे हैं।

इस नीति का उद्देश्य राज्य में डाटा सेन्टर उद्योग को फूलने-फलने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण का निर्माण करना है। स्थानीय लाभ, सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी ईकोसिस्टम, सेवायोजन के लिए तैयार कुशल प्रतिभा आदि महत्वपूर्ण तत्व उत्तर प्रदेश राज्य को डाटा सेन्टर उद्योग में निवेश के लिए एक आशायुक्त गन्तव्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।

2- परिकल्पना, उद्देश्य एवं लक्ष्य

2.1 परिकल्पना

उत्तर प्रदेश को डाटा सेन्टर उद्योग के लिए पसन्दीदा निवेश गन्तव्य के रूप में स्थापित करना।

2.2 उद्देश्य

वैश्विक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करके तथा डाटा सेन्टर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एम.एस.एम.ई./स्टार्टअप्स को आकर्षित करके राज्य में एक विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर ईकोसिस्टम का निर्माण करना।

2.3 लक्ष्य

- राज्य में 250 मेगा बॉट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किया जाना
- राज्य में रु 20,000 करोड़ का निवेश आकृष्ट करना
- कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित करना

3- सामान्य नियम एवं शर्तें

- (i) यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।
- (ii) यह नीति अधिसूचना के उपरान्त प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के लिए अनुमत्य है। निवेश किये जाने के साथ-साथ वाणिज्यिक उत्पादन भी नीति की अवधि के अन्दर आरम्भ किया जाना चाहिए। नीति की वैधता अवधि के विस्तार पर निर्णय इस नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।
- (iii) नीति अधिसूचना की तिथि पर ऐसे प्रस्ताव जिनमें निवेश पहले ही आरम्भ हो गया है, नीति के अन्तर्गत गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- (iv) नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त छूट/सुविधाएं, लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुमत्य होंगी।
- (v) इस नीति के अन्तर्गत किसी शब्द अथवा किसी प्राविधान की व्याख्या से सम्बन्धित शंका को स्पष्टीकरण/समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सन्दर्भित किया जाएगा। राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
- (vi) निवेशकों को केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों से एक ही मद के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों का दावा करने की पात्रता नहीं होगी।

4- नीति को प्रोत्साहन

राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नीति को बढ़ावा देने के लिए परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) द्वारा विपणन और ब्रॉडिंग रणनीति बनाई जाएगी। नोडल एजेन्सी की देख-रेख में पीएमयू द्वारा निम्न कार्यकलाप किए जाएंगे।

- (i) डाटा सेन्टर उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य को पसन्दीदा गन्तव्य के रूप में बढ़ावा देना।
- (ii) नीति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, शिखर सम्मेलनों, संगोष्ठियों, रोड शोज तथा कार्यक्रमों में प्रतिभाग तथा उनका आयोजन करना।
- (iii) डाटा सेन्टर उद्योग हेतु राज्य के आकर्षण के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया का उपयोग।

5- गवर्नेन्स

5.1 नोडल एजेन्सी

उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक नोडल एजेन्सी नामित की जाएगी। नोडल एजेन्सी प्रदेश में डाटा सेन्टर इकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक अनुकूल नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी होगी। निवेशकों को ससमय स्वीकृतियों की प्राप्ति हेतु एकल खिड़की प्रणाली के रूप में

14/07/20

कार्य करने के लिए नोडल एजेन्सी 'निवेश मित्र' पोर्टल का उपयोग करेगी। निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के प्रबन्धन तथा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेन्सी द्वारा आउटसोर्स प्रोफेशनल्स और कन्सल्टेण्ट्स तथा पर्याप्त स्टाफ सहित एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) स्थापित की जायेगी।

5.2 नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू)

नोडल एजेन्सी के कार्यकलापों की देख-रेख के लिए प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) स्थापित की जाएगी। पी.आई.यू. निवेश प्रस्तावों पर अनुमोदन, प्रोत्साहनों के संवितरण, सशक्त समिति के लिए संस्तुतियों इत्यादि सहित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति उत्तरदायी होगी। पी.आई.यू. के अन्य दायित्वों में शासकीय अधिकारियों के साथ समन्वय, उद्योग संघों, हितधारकों, कारपोरेट्स के साथ सम्बद्धता, नीति का प्रचार आदि सम्मिलित है।

5.3 सशक्त समिति

नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति स्थापित की जाएगी। समिति का अधिकार-पत्र (Charter) नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सभी स्तरों पर निवेशकों से सम्बन्धित मुद्दों के सामयिक समाधान हेतु अन्तर्विभागीय सामन्जस्य से सम्बन्धित होगा। ₹ 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाएँ सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन अधीन होंगी।

5.4 विशेष कार्यबल (स्पेशल टॉस्क फोर्स)

डाटा सेन्टर नीति में अंगीकृत नियामक मानदण्डों में सुधार के सुझाव जिससे कि राज्य विनियमों को सर्वोत्तम उद्योग मानकों के अनुरूप रखा जा सके तथा उद्योग और तकनीकी मानकों में उभरते रुझानों का अध्ययन करने के लिए अग्नि सुरक्षा, लोक निर्माण विभाग, नगर नियोजन तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे कई विभागों के प्रतिनिधित्व सहित एक विशेष कार्यबल की स्थापना की जाएगी। कार्यबल की संस्तुतियों को नीति के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

6- परिभाषायें

6.1 डाटा सेन्टर पार्क

डाटा सेन्टर इकाई(यों) की स्थापनार्थ न्यूनतम 40 मेगावॉट डाटा सेन्टर क्षमता को डाटा सेन्टर पार्क की परिभाषा के अन्तर्गत स्वीकार किया जाएगा।

6.2 डाटा सेन्टर इकाई

एक डाटा सेन्टर इकाई एक भवन/केन्द्रीकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान है जहाँ पर कम्प्यूटिंग तथा नेटवर्किंग उपकरण वृहद परिमाण में डाटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण अथवा उपयोग किये जाने के उद्देश्य से संग्रहीत हैं। इस नीति के अन्तर्गत कैपिटल डाटा सेन्टर्स पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.3 डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ता

डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ता एक ऐसी संस्था है जो डाटा सेन्टर पार्क की सुविधा जिसमें भूमि, पार्क क्षेत्र (जल, सीवेज, सड़क, पार्किंग, हरित क्षेत्र इत्यादि), डाटा

11/11

सेन्टर के आवश्यक सेटअप/उपकरण (यथा विद्युत, नेटवर्क/फाइबर कनेक्टिविटी, मेकेनिकल विद्युतीय एवं प्लम्बिंग उपकरण) इत्यादि के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगी।

7- वित्तीय प्रोत्साहन

7.1 डाटा सेन्टर पार्क

डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ताओं को निम्नवत् वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

(अ) ब्याज उपादान

प्रति वर्ष रु 10 करोड़ के प्रतिबन्ध सहित 7 वर्षों तक वार्षिक ब्याज के 60 प्रतिशत तक जिसकी कुल सीमा प्रति पार्क रु 50 करोड़ होगी, ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

(ब) भूमि उपादान

(i) मध्योचल एवं पश्चिमोचल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से भूमि कय करने/पट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।

(ii) बुन्देलखण्ड तथा पूर्वाचल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से भूमि कय करने/पट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।

(iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) के अन्तर्गत भूमि उपादान कुल परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत अथवा रु 75 करोड़, जो भी कम हो, तक सीमित होगा।

(iv) सौर ऊर्जा प्लान्ट के लिए कृषक भूमि के पट्टे को राजस्व संहिता के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

(v) भूमि उपादान का संवितरण प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी को नीति अवधि के भीतर, चरणों में उपयोग किए गए भू-क्षेत्र के अनुपात में परियोजना के व्यवसायीकरण के पश्चात किया जाएगा। उपादान को प्राधिकरण द्वारा उद्यम की भुगतान योजना में समायोजित किया जाएगा।

(vi) यह उपादान नीति की अधिसूचना उपरान्त केवल प्रथम 3 डाटा सेन्टर पार्क को प्रदान किया जाएगा।

(vii) यदि डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ता द्वारा भूमि उपादान का लाभ प्राप्त कर लिया गया है तो डाटा सेन्टर पार्क में परिचालित डाटा सेन्टर इकाइयों को इस उपादान की अनुमन्यता नहीं होगी।

(viii) प्रस्तावित भूमि उपादान (लैण्ड सब्सिडी) केवल डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना के सम्बन्ध में अनुमन्य होगी। डेटा सेन्टर पार्क के साथ यदि सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जाती है तो प्रयुक्त की जाने वाली भूमि, नीति अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि-उपादान हेतु सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(स) स्टाम्प ड्यूटी

(i) भूमि के कय/पट्टे हेतु प्रथम ट्रॉजेक्शन (प्राधिकरण/भू-स्वामी से डाटा सेन्टर पार्क को) पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रॉजेक्शन (डाटा सेन्टर पार्क से डाटा सेन्टर इकाई को) पर 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

(ii) स्टाम्प शुल्क से छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जाएगी, जिसे वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात अवमुक्त कर दिया जाएगा।

आर्डी

(द) विद्युत आपूर्ति

- (i) दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति: इस नीति की अधिसूचना के पश्चात राज्य में स्थापित प्रथम 3 डाटा सेन्टर पार्क्स को दोहरा ग्रिड विद्युत नेटवर्क प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रथम ग्रिड की लागत डाटा सेन्टर विकासकर्ता द्वारा वहन की जाएगी तथा द्वितीय ग्रिड की लागत ऊर्जा विभाग द्वारा वहन की जाएगी।
- (ii) ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग शुल्क:
- विद्युत ऊर्जा के इन्ट्रास्टेट (राज्य के अन्दर) उपयोग पर व्हीलिंग शुल्क/ट्रॉसमिशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
 - इन्ट्रास्टेट ट्रॉसमिशन प्रणाली पर ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय विक्रय हेतु व्हीलिंग शुल्क/ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
 - राज्य के बाहर से ऊर्जा के आयात पर इन्ट्रास्टेट प्रणाली पर 5 वर्षों तक ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट। यह केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगी जो नीति की अवधि (5 वर्षों) के दौरान परिचालनरत/आरम्भ हो गये हों।

7.2 डाटा सेन्टर इकाइयों

डाटा सेन्टर इकाइयों को निम्नवत् वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

(अ) पूंजी उपादान

डाटा सेन्टर इकाइयों भूमि और भवन को छोड़कर स्थिर पूंजी निवेश (FCI) पर 7 प्रतिशत पूंजी उपादान रु 20 करोड़ तक प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसका संवितरण प्रतिवर्ष रु 2 करोड़ की सीमा तक 10 वर्षों की अवधि में किया जाएगा।

(ब) भूमि उपादान

- (i) मध्यांचल एवं पश्चिमोच्चल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने/पट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।
- (ii) बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने/पट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।
- (iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) के अन्तर्गत भूमि उपादान कुल परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत अथवा रु 75 करोड़, जो भी कम हो, तक सीमित होगा।
- (iv) सौर ऊर्जा प्लान्ट के लिए कृषक भूमि के पट्टे को राजस्व संहिता के अनुसार अनुमति दी जाएगी।
- (v) भूमि उपादान का संवितरण प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी को नीति अवधि के भीतर, चरणों में उपयोग किए गए भू-क्षेत्र के अनुपात में परियोजना के व्यवसायीकरण के पश्चात किया जाएगा। उपादान को प्राधिकरण द्वारा उद्यम की भुगतान योजना में समायोजित किया जाएगा।
- (vi) यदि डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ता द्वारा भूमि उपादान का लाभ प्राप्त कर लिया गया है तो डाटा सेन्टर पार्क्स में परिचालित डाटा सेन्टर इकाइयों को इस उपादान की अनुमन्यता नहीं होगी।

(vii) प्रस्तावित भूमि उत्पादान (लेण्ड सब्सिडी) केवल डाटा सेन्टर इकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में अनुमन्य होगी। डेटा सेन्टर इकाइयों के साथ यदि सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जाती है तो प्रयुक्त की जाने वाली भूमि, नीति अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि-उत्पादान हेतु सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(स) स्टाप्प ड्यूटी

(i) भूमि के कय/पट्टे हेतु प्रथम ट्रॉजेक्शन (प्राधिकरण/भू-स्वामी से डाटा सेन्टर इकाई को) पर स्टाप्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रॉजेक्शन (डाटा सेन्टर पार्क से डाटा सेन्टर इकाई को) पर 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

(ii) स्टाप्प शुल्क से छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जाएगी, जिसे वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात अवमुक्त कर दिया जाएगा।

(द) विद्युत आपूर्ति

(i) इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी: वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

(ii) दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति: की मॉग किए जाने पर दोहरी ग्रिड विद्युत आपूर्ति प्रचलित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग शुल्क:

- विद्युत ऊर्जा के इन्ट्रास्टेट (राज्य के अन्दर) उपयोग पर व्हीलिंग शुल्क/ट्रॉसमिशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
- इन्ट्रास्टेट ट्रॉसमिशन प्रणाली पर ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय विकय हेतु व्हीलिंग शुल्क/ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

- राज्य के बाहर से ऊर्जा के आयात पर इन्ट्रास्टेट प्रणाली पर 5 वर्षों तक ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट। यह केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगी जो नीति की अवधि (5 वर्षों) के दौरान परिचालनरत/आरम्भ हो गये हों।

7.3 एम.एस.एम.ई./स्टार्ट-अप्स इकाइयों

प्रदेश में स्थित डाटा सेन्टर एम.एस.एम.ई./स्टार्टअप्स जोकि क्लाउड व्यवसाय में अभिनव समाधान प्रदान कर रहे हैं, वह उ0प्र0 एम.एस.एम.ई./उ0प्र0 स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

8- गैर वित्तीय प्रोत्साहन

8.1 मिशन क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर

राज्य में डाटा सेन्टर उद्योग को आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

8.2 जल आपूर्ति

किसी भी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अवस्थित इकाइयों के लिए उसके द्वारा डाटा सेन्टर पार्क के अन्दर और बाहर दोनों स्थानों पर डाटा सेन्टर इकाइयों को 24X7 निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त

44/21/23

सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत डाटा सेन्टर पार्क्स द्वारा जल-उपचार संयंत्र भी स्थापित किए जायेंगे।

8.3 भवन निर्माण मानदण्डों में विशेष प्राविधान

- (i) सब-लीजिंग : डाटा सेन्टर पार्क्स को बिना किसी सब-लीज/हस्तान्तरण शुल्क के डाटा सेन्टर इकाइयों को भूमि/भवन को सब-लीज करने की अनुमति दी जाएगी। डाटा सेन्टर पार्क्स द्वारा डाटा सेन्टर इकाइयों को भूमि/भवन हस्तान्तरण पर सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा कोई फीस/शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

“उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976” के अन्तर्गत उक्त फीस/शुल्क को प्रभारित किये जाने का अधिकार सम्बन्धित औद्योगिक प्राधिकरणों में निहित है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।
- (ii) फ्लोर एरिया रेशियो : डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाइयों को 3.0 + 1.0 (कय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमति दी जाएगी। भूमिगत पार्किंग, स्टोरेज तथा डीजल जनरेटिंग सेट्स हेतु उपयोग किए जा रहे स्थान को फ्लोर एरिया रेशियो का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
- (iii) एक मँजिल में फर्श से छत की ऊँचाई : यदि मेजानाइन (Mezzanine) फ्लोर नहीं है तथा समग्र ऊँचाई सम्बन्धी नियमों और उपयुक्त संरचनात्मक एवं अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन किया गया है तो फर्श से छत की ऊँचाई सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- (iv) रुफटॉप पर चिलर्स की स्थापना : संरचनात्मक सुरक्षा तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमति के अधीन, बिना फ्लोर एरिया रेशियो में सम्मिलित किए हुए चिलर्स की स्थापना छत पर की जा सकती है।
- (v) पार्किंग शिथिलता : खुले में पार्किंग उपलब्ध कराने के प्रतिबन्ध सहित, डाटा सेन्टर पार्क/इकाइयों के लिए पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता कुल निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होगी। यदि भूमि का उपयोग डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो पार्किंग सम्बन्धी इन शिथिलताओं को निरस्त कर दिया जायेगा। डाटा सेन्टर पार्क/इकाइयों द्वारा अनुमानित यातायात का एक वचन-पत्र प्रदान किया जायेगा तथा यातायात में वृद्धि के कारण आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पार्किंग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता सम्बन्धित प्राधिकारियों को संसूचित की जायेगी।
- (vi) चहारदीवारी : डाटा सेन्टर पार्क्स/इकाइयों को 3.6 मीटर ऊँची तक चहारदीवारी तथा 600मिमी 'Y' आकार की बाड़ लगाने की अनुमति होगी।
- (vii) भवन में वातायन : डाटा सेन्टर पार्क्स/इकाइयों को भवन और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन तथा परिसर के अन्दर आधुनिक अग्निशमन उपकरण रखने के प्रतिबन्ध सहित न्यूनतम संख्या में खिड़कियाँ लगाने की अनुमति दी जाएगी।
- (viii) बहुस्तरीय डी.जी. स्टैकिंग : अग्नि सुरक्षा विभाग से अनापत्ति के अधीन बहुस्तरीय डीजी स्टैकिंग सहित डीजल जनरेटिंग सेट्स की स्थापना को अनुमति दी जाएगी और इसे फ्लोर एरिया रेशियो का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
- (ix) भूमि आच्छादन : डाटा सेन्टर पार्क्स/इकाइयों को 60 प्रतिशत तक भूमि आच्छादन की अनुमति होगी।

मा.स.

(x) डाटा सेन्टर पार्क के द्वार पर अवस्थापना : जहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों से भूमि कय की जाती है, राज्य में स्थापित किए जा रहे डाटा सेन्टर पार्क्स को आवश्यक बुनियादी ढाँचा (बिजली, पानी, सीवर, सड़क) सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

8.4 विद्युत आपूर्ति

- (i) ओपेन एक्सेस : डाटा सेन्टर पार्क के बाहर काम करने वाली डाटा सेन्टर इकाइयों को खुले बाजार में अति प्रतिस्पर्धी दरों पर ऊर्जा कय हेतु ओपेन एक्सेस की अनुमति होगी।
- (ii) कॉस सब्सिडी सरचार्ज विजिबिलिटी : वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने वाली डाटा सेन्टर इकाई के प्रथम वर्ष में लागू कॉस-सब्सिडी सरचार्ज को 5 वर्ष से अधिक रैखिक स्तर पर उसके प्रारम्भिक स्तर के अधिकतम 20 प्रतिशत तक लाया जाएगा। उदाहरणार्थ यदि किसी इकाई हेतु प्रथम वर्ष में लागू सरचार्ज X प्रति यूनिट है तो द्वितीय वर्ष में लागू सरचार्ज 0.8X, तृतीय वर्ष में 0.6X, चतुर्थ वर्ष में 0.4X तथा पंचम वर्ष एवं तदनन्तर 0.2X होगा।
- (iii) डीमड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेन्स : डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ता/संचालक डाटा सेन्टर पार्क के अन्दर विद्युत वितरण और उपभोग हेतु लाइसेन्स प्राप्ति हेतु पात्र होंगे।
- (iv) डीमड फ्रेन्चाइजी स्टेटस : डाटा सेन्टर इकाइयों को उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग विनियमों की शर्तों के अन्तर्गत डीमड फ्रेन्चाइजी स्टेटस प्राप्त करने का विकल्प होगा।
- (v) 24X7 विद्युत आपूर्ति : डाटा सेन्टर पार्क और डाटा सेन्टर इकाइयों को 24X7 विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाएगी, जोकि पार्क/इकाई द्वारा व्यवस्था की जा रही समर्पित बिजली आपूर्ति फीडर की आवश्यकता के अधीन होगी।
- (vi) सम्बन्धित राज्य वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग विनियमों के बैंकिंग प्राविधानों के अनुसार सत्यापन के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऊर्जा के बैंकिंग की अनुमति होगी। ऐसी डाटा सेन्टर इकाई को 25 वर्षों के लिए उसके आरम्भ के समय लागू होने वाले नियम लागू होंगे। डाटा सेन्टर उद्योग को स्वतन्त्रतापूर्वक राज्य के बाहर से नवीकरणीय ऊर्जा आयात करने और सम्बन्धित राज्यों में बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने की अनुमति होगी।

8.5 अन्य सहायता

- (i) नॉन-डिस्टर्बेन्स प्राविधान : एक बार डेवलपर द्वारा निवेश पूर्ण कर लिया गया हो और सम्बन्धित प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया हो तथा लीज रेंट का पूर्ण भुगतान किया गया हो तो डाटा सेन्टर इकाइयों द्वारा प्राधिकरण मानदण्डों/बाईलाज के किसी उल्लंघन की दशा में पट्टा विलेख के निरस्तीकरण हेतु प्राधिकरण के निदेशक मण्डल की स्वीकृति, व्यावसायिक निरन्तरता को आश्वस्त करने के लिए एक अनिवार्य शर्त होगी।
- (ii) सार्वजनिक कय में वरीयता : इस नीति के अन्तर्गत पंजीकृत डाटा सेन्टर इकाइयों सरकारी विभागों और उसके एजेन्सियों द्वारा अति प्रतिस्पर्धी दरों पर क्लाउड स्टोरेज के सार्वजनिक कय में वरीयता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- (iii) तीन पालियों में परिचालन : डाटा सेन्टर इकाइयों को 24X7 परिचालन तथा महिलाओं को सभी तीन पालियों में कार्य करने की इस प्रतिबन्ध सहित



अनुमति होगी कि महिला कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा से सम्बन्धित निर्धारित सावधानी रखी जाये।

(iv) स्व-प्रमाणन : विशिष्ट शिकायतों की स्थिति में किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर डाटा सेन्टर इकाइयों को निम्नलिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी। इन इकाइयों को निर्धारित प्रारूपों पर, स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगी :-

- कारखाना अधिनियम
- मातृत्व लाभ अधिनियम
- दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम
- संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम
- पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
- सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम

9- संक्षिप्तीकरण

1.	CSS	Cross Subsidy Surcharge
2.	DC	Data Center
3.	DG	Diesel Generator
4.	EC	Empowered Committee
5.	ESMA	Essential Services and Maintenance Act
6.	FAR	Floor Area Ratio
7.	FCI	Fixed Capital Investment
8.	GoI	Government of India
9.	GoUP	Government of Uttar Pradesh
10.	INR	Indian National Rupee
11.	MSME	Micro, Small, and Medium Enterprises
12.	MW	Megawatt
13.	PMU	Project Management Unit
14.	PIU	Policy Implementation Unit
15.	UPERC	Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission

Amir



सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
इनके साथ

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में
पता 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001
दूरभाष नं० : 0522-2286808, 2286809, 2286812
ई-मेल: info@itpolicyup.gov.in
वेबसाइट : itpolicyup.gov.in

ध्यानकर्षण:

यह **Uttar Pradesh Data Centre Policy 2020** के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रुपान्तरण है। अतएव विषय-वस्तु सम्बन्धी किसी विसंगति/संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय-वस्तु ही मान्य होगी।